WEEKLY FOCUS
#94

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

संवैधानिक लोकाचार III

विविधता में एकता - बहुभाषावाद

> "दूसरी भाषा सीखना न केवल समान चीज के लिए अलग-अलग शब्द सीखना है, बल्कि चीजों के बारे में सोचने का एक और तरीका सीखना है।"
>
> - फ्लोरा लुईस

परिचय

भारत न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि रचनात्मक दृष्टि से भी **उप-महाद्वीपीय विशेषता वाला एक देश** है। विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले इस देश में जो धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता प्राप्त होती है, वह अन्यत्र नहीं है। इन विविधताओं की सबसे सुन्दर झलक मेलों, त्योहारों, कलाओं, संगीत, नृत्य, नाटक, स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियों तथा साहित्य एवं भाषाओं में दिखती है। भारत में भाषा केवल एक समुदाय द्वारा **सूचना/ ज्ञान को संप्रेषित करने या साझा करने का एक साधन** मात्र नहीं है, बल्कि भाषा, कई मामलों में **जीवन के एक सामूहिक तरीके को दर्शाती है।**

इस डॉक्यूमेंट में, हम **बहुभाषावाद (Multilingualism)** के संवैधानिक लोकाचार पर चर्चा करेंगे- मुख्य रूप से **बहुभाषावाद के मूल सैद्धांतिक विचार** की शुरुआत से लेकर भारत में इसकी उपस्थिति तक, अर्थात् इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद **भारतीय संविधान** में बहुभाषावाद से जुड़े प्रावधानों और इनके निहित **उद्देश्यों** को जानने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत हम इन प्रावधानों की दिशा में उठाए गए कदमों सहित इनके लाभों और उन पर चल रहे महत्वपूर्ण वाद-विवादों पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट के अंत में उपर्युक्त के आधार पर बहुभाषावाद को **संरक्षित करने और बढ़ावा देने** हेतु एक संभावित आगे की राह के साथ कुछ चुनौतियों की पहचान की गई है।

बहुभाषावाद का सिद्धांतः आशय और भारत में इसकी उपस्थिति

भारत **सर्वाधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक** है। इसकी यही विविधता कई बहुभाषाविदों को आकर्षित करती रही है, उदाहरण के लिए- ब्रिटिश शासन के दौरान **जी. ए. ग्रियर्सन ने भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण** किया था। इस सर्वेक्षण के तहत संपूर्ण भारत में **544 बोलियों के साथ 179 अलग-अलग भाषाओं** की उपस्थिति की पहचान की गई थी।

मातृभाषा (Mother Tongue)

- मातृभाषा **पहली भाषा** होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति सबसे पहले **सीखता, बोलता** और उसका **उपयोग** करता है।
- आमतौर पर मातृभाषा वह भाषा है, जिसे कोई व्यक्ति अपने बचपन में अपने परिवार में (विशेष रूप से अपनी माता से) सीखता है।
- यदि शैशवावस्था में माता की मृत्यु हो जाती है, तो मुख्य रूप से **बचपन में व्यक्ति के घर में बोली जाने वाली** भाषा उसकी **मातृभाषा** बन जाती है।

भाषा परिवार (Language Family)

- यह एक **सामान्य पैतृक भाषा या माता-पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा** से उत्पन्न तथा एक-दूसरे से संबंधित **भाषाओं का एक समूह** है। इसे उस परिवार की **आद्य-भाषा** कहा जाता है।
  - परिवार, **ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में भाषा उत्पत्ति के वृक्ष मॉडल** को दर्शाता है।

भारत में सदियों से चले आ रहे **भाषाई अभिसरण** के परिणामस्वरूप ये भाषाएं कुछ सामान्य विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके आधार पर भाषाविद् भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से **चार भाषा समूहों** में विभाजित करते हैं (इंफोग्राफिक देखें)। यह अभिसरण लोगों के लिए कई भाषाओं को सामान्य बना देता है। साथ ही, वे कई भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति से **भारतीय समाज में बहुभाषावाद** का जन्म हुआ है।

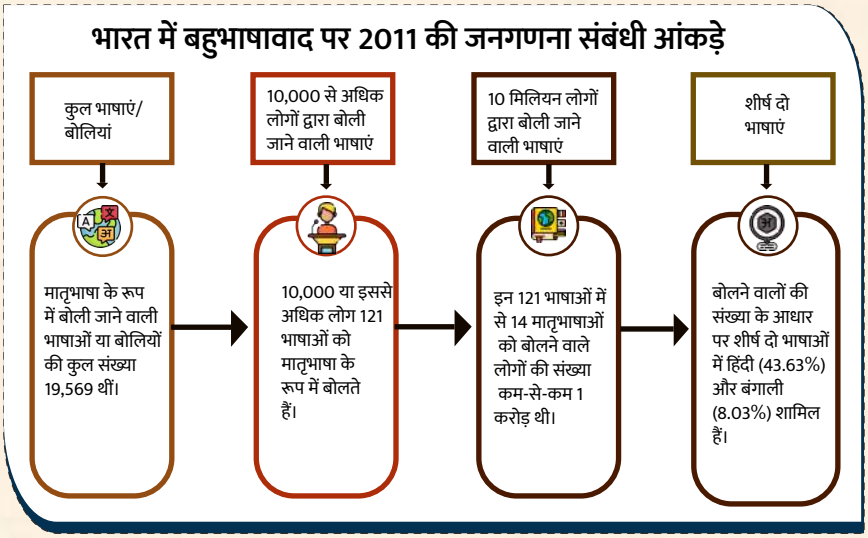

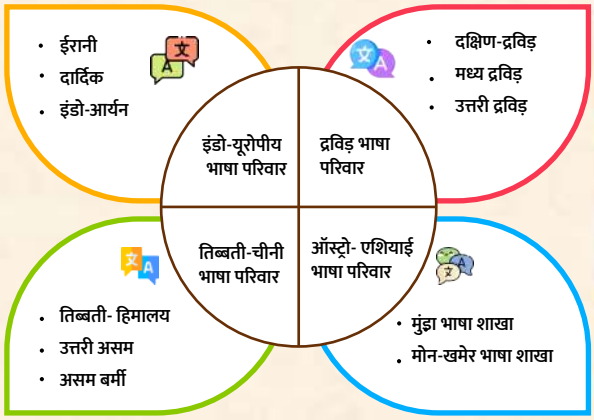

भारत में संवैधानिक लोकाचार के रूप में बहुभाषावादः इसके प्रावधान और उद्देश्य

बहुभाषावाद से जुड़े सभी संवैधानिक प्रावधानों को मोटे तौर पर निम्नलिखित **चार श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

मौलिक अधिकार

संविधान के भाग III यानी मौलिक अधिकार के तहतः

- **अनुच्छेद 29-** यह भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को अपनी **अलग भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार** प्रदान करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी शैक्षणिक संस्थान धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 30-** धर्म या भाषा पर आधारित **सभी अल्पसंख्यक वर्गों** को अपनी पसंद के **शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार** प्रदान करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह संस्था धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अधीन है।

संसद में उपयोग की जाने वाली तथा संघ और राज्यों के बीच संचार की भाषा

संविधान में किसी राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में **संविधान में कुछ उपबंध किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:**

- **अनुच्छेद 120- राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष** अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा।
- **अनुच्छेद 343- यह अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा** के रूप में निर्दिष्ट करता है, लेकिन कुछ राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग पर आपत्ति के कारण **अंग्रेजी भाषा** के उपयोग की भी अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 345-** इस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपनाने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 346-** यह अनुच्छेद राज्यों को अन्य राज्यों या संघ के साथ पत्राचार करने में अपनी आधिकारिक भाषा या हिंदी का उपयोग करने की अनुमति देता है। हिंदी के मामले में यह व्यवस्था तभी लागू होगी, जब दो या दो से अधिक राज्य इस हेतु सहमति प्रदान करें।
- **अनुच्छेद 347-** यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबंधित राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो ऐसी स्थिति में यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को ऐसी भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने का निर्देश जारी करने में सक्षम बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा

यद्यपि **अनुच्छेद 348(1)** के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है।

- **परंतु, अनुच्छेद 348(2)** किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में **हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत** करने की अनुमति देता है।

विशेष निर्देश

ये निर्देश **भारत के सभी नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।** इन विशेष निर्देशों में **निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **अनुच्छेद 350-** प्रत्येक व्यक्ति को किसी **शिकायत निवारण के लिए** संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में **अर्जी प्रस्तुत करने की अनुमति** देता है।
- **अनुच्छेद 350A -** प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 350B** में यह अपेक्षा की गई है कि **भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।**
  - इस विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन **भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबद्ध सभी विषयों की जांच करे।** साथ ही, उन विषयों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा तय की गई अवधि में राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

भारतीय बहुभाषावाद के उद्देश्य

- भारत के लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए भारत के बहुलवाद (विविधता में एकता) को संरक्षित करना।
- भाषाओं को संरक्षित करने के लिए बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना।
- भारत की भाषा संबंधी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण करना, क्योंकि भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है तथा उस पर प्रभाव डालती है।

भारत में संवैधानिक बहुभाषावाद का कार्यान्वयनः सरकार द्वारा की गई पहलें

- **भारत की राजभाषाएंः** संविधान की **आठवीं अनुसूची {अनुच्छेद 344 (1) और 351} के तहत, 22 भाषाओं को भारत की अनुसूचित राजभाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान** की गई है।
- **बहुभाषी शिक्षाः** भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 के बाद से ही **त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula)** का अनुसरण हो रहा है। यह नीति छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने और दो अन्य भाषाओं को सीखने का अवसर प्रदान करती है।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** में भी इस बात पर बल दिया गया है कि त्रिभाषा में दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और राज्य उन भाषाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **शास्त्रीय भाषाएं (Classical Languages): 6 भाषाओं (तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया)** को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। यह दर्जा अलग-अलग लाभों के माध्यम से इन भाषाओं के प्रसार में मदद करता है। ये लाभ निम्नलिखित हैं:
  - भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए **दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों** का प्रावधान किया गया है।
  - शास्त्रीय भाषाओं में **अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
  - केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए **एक निश्चित संख्या में प्राध्यापकीय पीठ (Professorial Chair) स्थापित** की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)से अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान** की जाती हैं।
  - साथ ही, **(NEP)2020 के तहत त्रिभाषा सूत्र** के अंतर्गत स्कूलों में शास्त्रीय भाषा चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।

किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए मानदंड

प्राचीनता	मूल्यवान विरासत	साहित्यिक परंपरा	विशिष्टता
संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए/ उस भाषा का इतिहास 1500-2000 वर्ष पुराना होना चाहिए।	उस भाषा का प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक समूह होना चाहिए, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।	संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक हो और किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार न ली गई हो।	शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न होने चाहिए। साथ ही, शास्त्रीय भाषा और इसके बाद के रूपों या शाखाओं में असातत्य (अनिरंतरता) भी हो सकता है।

- **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission: NLTM):** इसे भाषिणी के नाम से भी जाना जाता है। यह **तीन साल के लिए संचालित एक मिशन (मार्च 2022 में शुरू) है।** यह सभी भारतीयों को अपनी भाषा में **इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं** तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह **भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराने** पर भी लक्षित है।
  - यह **भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम** का निर्माण करेगा। साथ ही, भारतीय भाषाओं के लिए एक **यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफ़ेस (ULI)** के रूप में विकसित होगा।
- **न्यायिक पहलः** न्याय प्रशासन को **आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों के अनुवाद के लिए कदम** उठाए हैं। निर्णयों को **हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं जैसे ओडिया, तमिल, मराठी** आदि में भी अनुवाद किया जाएगा।

'एक राष्ट्र एक भाषा' पर वाद-विवाद

- इस वाद-विवाद के मूल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खोजा जा सकता है। तब कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों की एकजुटता के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को महसूस किया था। भारत की **सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी** उस दौरान राष्ट्रीय भाषा के लिए **पहली पसंद** बन गई थी। इसी समय, अलग-अलग क्षेत्रों की विशिष्ट भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए आवाजें उठाई जाने लगीं तथा आंदोलन शुरू कर दिए गए। उदाहरण के लिएः
  - 1927 में **"भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन"** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस **(INC)** की **एक प्रमुख प्रतिबद्धता** बन गई थी।
- इसी प्रकार, **तमिलनाडु में त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत** को पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन (Self Respect Movement) और जस्टिस पार्टी के **हिंदी विरोधी आंदोलनों (1937-40)** का सामना करना पड़ा था। ज्ञातव्य है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत **राज्य सरकार के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य** कर दिया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। हालांकि, दोनों पक्षों को शांत करने हेतु **मुंशी-आयंगर फार्मूले के आधार पर संविधान के भाग XVII** के माध्यम से कुछ उपाए किए गए थे। **इस भाग में निम्नलिखित उपबंधों को जोड़ा गया था-**
  - **देवनागरी लिपि** में लिखी जाने वाली हिंदी, संघ की **राजभाषा** होगी, लेकिन संघ की **कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी।**
    - कुछ भाषाओं को **अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता** दी जाएगी। वर्तमान में संविधान की **8वीं अनुसूची के तहत 22 अनुसूचित भाषाएं हैं।**
    - **राज्यों** को अपनी **राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।**
    - **15 वर्षों के बाद,** शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी **का प्रयोग समाप्त हो जाएगा।**
  - हालांकि, **राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967** के तहत शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के प्रावधान को आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
- केंद्र सरकार हिंदी भाषा का **विकास और प्रचार** करेगी। उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 351** के तहत हिंदी भाषा का प्रसार करना संघ का कर्तव्य है, ताकि लोग संचार के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का उपयोग कर सकें।
- हालांकि, वर्तमान में दोनों पक्षों द्वारा पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं और इस पर बहस जारी है-

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपनाने के लाभ	भारत जैसे समाज में 'एक राष्ट्र एक भाषा' अपनाने से संबंधित चुनौतियां
• **हिंदी को पूरे भारत में लोक भाषा के रूप में विकसित करने** से पर्यटकों और प्रवासियों को समान रूप से मदद मिलेगी। • राष्ट्रभाषा भारत को एक **वैश्विक भाषाई प्रतिनिधित्व/ पहचान प्रदान** करेगी। • संपर्क भाषा के रूप में **अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने में मदद** मिलेगी। • यह **भाषाई मतभेदों पर आधारित क्षेत्रवाद के प्रभाव को कम करने में मदद** कर सकती है।	• यह **बहुभाषावाद संबंधी भारत के सभ्यतागत लोकाचार के प्रतिकूल** है। • भले ही हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन यह **50% से भी कम आबादी द्वारा बोली** जाती है। • **हिंदी को जबरन थोपने से उत्तर-दक्षिण विभाजन** को बढ़ावा मिल सकता है। • यह संविधान के **अनुच्छेद 19(A)** के तहत प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी** के खिलाफ है।

बहुभाषावाद के लाभ

वैश्वीकरण के साथ-साथ, बहुभाषावाद भी एक सार्वभौमिक परिघटना के रूप में उभरा है। आज, यह माना जाता है कि विश्व में **एकभाषी वक्ताओं की तुलना में बहुभाषी वक्ता अधिक** हैं। ऐसी परिस्थितियों में, बहुभाषावाद के लाभ केवल संवैधानिक उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं हैं।

एक से अधिक भाषा सीखने से **कई संज्ञानात्मक लाभ** मिलते हैं, जो बेहतर लर्निंग और सोचने की क्षमता को अर्जित करने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा, इससे कई अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें **इन्फोग्राफिक** में दर्शाया गया है।

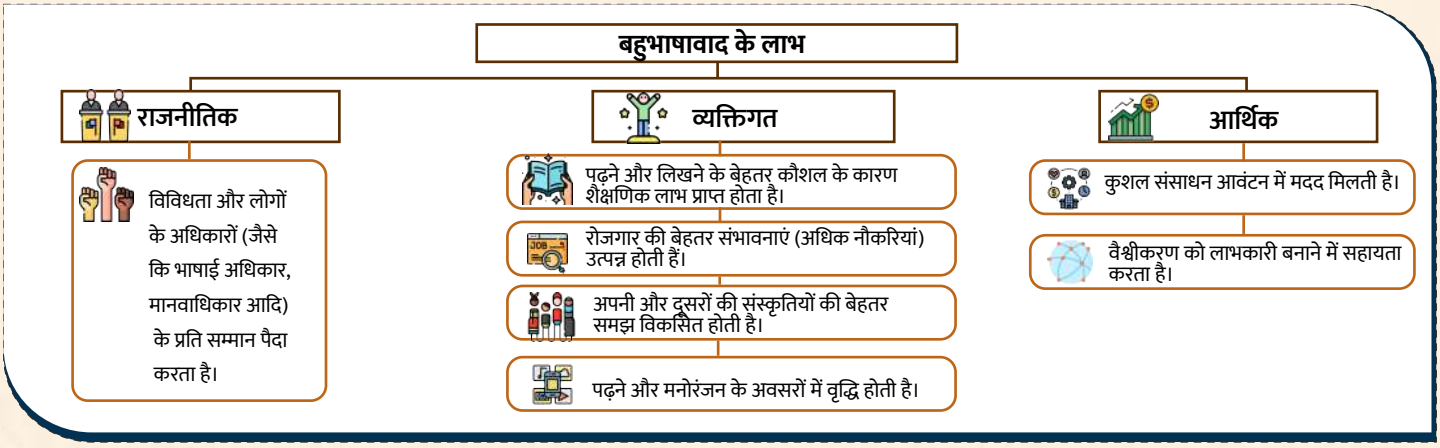

एक छोटी सी वार्ता!
भारत में भाषाई विविधता और बहुभाषावाद के लाभ

विनयः हे विनी! इस बार गर्मियों में मैं एक नई भाषा सीखने की सोच रहा हूँ।

विनीः बढ़िया! पिछली गर्मियों में, मैंने भी एक नई भाषा सीखी थी।

विनयः कौन-सी?

विनीः मैंने गढ़वाली पहाड़ी सीखी थी।

विनयः अच्छा है, तुमने पहाड़ी भाषा सीख ली।

विनीः हाँ, लेकिन इसमें पहाड़ी से पहले गढ़वाली जोड़ना जरुरी है, क्योंकि हमारे यहां कुमाऊँनी पहाड़ी की तरह अन्य पहाड़ी भाषाएँ भी बोली जाती हैं।

विनयः तुम्हारा मतलब है कि पहाड़ी के भीतर भी अलग-अलग बोलियां हैं।

विनीः हाँ. दरअसल हिमाचल में भी पहाड़ी की अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं। इस कारण, भारत के लिए यह कहा जाता है कि - **"कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी" अर्थात् "हर दो मील पर पानी बदलता है और हर चार मील पर बोली"।**

विनयः लेकिन, क्या इससे समूहों के बीच बातचीत मुश्किल नहीं हो जाती है?

विनीः ऐसा नहीं है। चूंकि ये सभी एक सामान्य भाषा समूह से विकसित हुई हैं, इसलिए ये भाषाएं न केवल अलग-अलग पहाड़ी भाषाओं के साथ बल्कि समूह की अन्य भाषाओं के साथ भी समानताएं साझा करती हैं।

विनयः ओह! मैं अब भी थोड़ा परेशान हूँ। इतनी सारी भाषाओं के होते हुए, मुझे नहीं लगता कि नई भाषा सीखने से मेरा कोई भला होगा।

विनीः मैं इससे असहमत हूँ। तुम्हारी सोच के विपरीत, मुझे लगता है कि नई भाषा सीखने से तुम्हे बहुत लाभ होगा। उदाहरण के लिए- तुम विविध संस्कृतियों के बारे में जानने में सक्षम होगे। यह तब भी मदद करेगी जब तुम इन राज्यों में एक पर्यटक के रूप में या काम के लिए जाओगे। इतना ही नहीं, यह तुम्हें नए लोगों के साथ बातचीत करने और दुनिया को उनके दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करेगी।

विनयः हम्म! अब, मुझे लगता है कि मुझे प्रत्येक समूह से कम-से-कम एक भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए।

विनीः यह बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे सर्कल के लोग भी बहुभाषावाद के लाभों के बारे में अधिक जानने में सक्षम होंगे।

विनयः धन्यवाद विनी।

बहुभाषावाद के समक्ष चुनौतियां: इसकी सीमाएं और चिंताएं

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के संस्थापक-निदेशक **डी. पी. पटनायक** के अनुसार, बहुभाषावाद तभी सफल हो सकता है, जब किसी **समाज में बहुलता या अलग-अलग विचारों का सम्मान** किया जाता हो। इसके अतिरिक्त, भारत में बहुभाषावाद की **अपनी सीमाएं और चिंताएं हैं, जैसे-**

सीमाएं

- **भाषा संबंधी परिवेश,** अर्थात् एकभाषी परिवेश (जैसे कि घर पर) के कारण किसी अन्य भाषा के प्रयोग में अतिरिक्त और निरंतर प्रयास करना पड़ता है।
  - यह **मुख्य विषयों (मुद्दों) से ध्यान भटकाकर** भाषाओं की ओर स्थानांतरित कर सकता है।
- **संसाधनों की कमी** एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुभाषा के लिए **योग्य शिक्षकों के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अध्ययन सामग्री तथा आर्थिक प्रणाली आदि की जरूरत** होती है।
  - यह **त्रिभाषा सूत्र के एक समान कार्यान्वयन को बाधित** करता है।
  - यह अधिक भाषाई विविधता तथा सीमित आबादी एवं संसाधनों वाले कुछ राज्यों (जैसे नागालैंड) के बहुभाषावाद से पूरी तरह से लाभान्वित होने की संभावना को और कठिन बनाता है।
- कुछ भाषाओं (विशेष रूप से जनजातीय भाषाओं) की **लिपि नहीं होने और बोलने वालों की कम संख्या होने से इनके विलुप्त** होने का खतरा अधिक होता है।
  - **यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेज़ इन डेंजर-2010** के अनुसार 196 भारतीय भाषाएं विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।
- **कम भाषाई समझ,** जैसे कि कई भाषाओं की व्याकरण सीखना जटिल हो सकता है और इसके लिए भाषा को सीखने में अत्यधिक व्यस्त होना पड़ सकता है।
- कुल मिलाकर, ये सीमाएं भाषा के विकास में गतिहीनता का कारण बनती हैं। साथ ही, भाषा को अगली पीढ़ी तक ले जाने में समस्या उत्पन्न करती हैं।

चिंताएं

- **उच्चतर शिक्षा में एकभाषावाद (Monolingualism)** के अत्यधिक प्रचलन के कारण शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्रक में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता समाप्त होती जा रही है।
  - हालांकि, कुछ राज्यों ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में **तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा** शुरू करने के लिए पहल की है, लेकिन ऐसे राज्य बहुत ही कम हैं।
  - उदाहरण के लिए- विगत वर्ष **मध्य प्रदेश** नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत चिकित्सा शिक्षा के लिए हिंदी भाषा में MBBS की पुस्तकें जारी करने वाला पहला राज्य बन गया था।
- **वैश्वीकरण का प्रभाव:** यह लोगों को अपनी **सांस्कृतिक विरासत** को संरक्षित करने की बजाय बेहतर आर्थिक अवसरों के चलते विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित करता है।
- कुछ राज्य **त्रिभाषा सूत्र का विरोध** कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे इसे हिंदी या अन्य भाषाओं को थोपने के एक माध्यम के रूप में देख रहे हैं।
- भारतीय भाषाओं की **साइबरस्पेस में उपस्थिति कम है।** इसके कारण भाषाई अंतराल तथा डिजिटल विभाजन और बढ़ता जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान** पर है, लेकिन भाषाई विविधता के कारण सभी भाषाओं में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करा पाना अत्यंत कठिन हो गया है।
- भाषाओं को अस्वीकार करने की दर तथा उनकी विलुप्ति के कारण **सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हुई है और सामाजिक-सामंजस्य में कमी** आई है।
  - इससे **लोगों में एक हीन भावना (भाषा आधारित) का जन्म** हुआ है।
- सभी भारतीय भाषाओं में **गुणवत्तापूर्ण पठनीय सामग्री या फिल्मों की कमी है।**

आगे की राह

नई शिक्षा नीति, 2020 बहुभाषावाद को **भारत की समग्र संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रदर्शित** करती है। हालांकि, प्रौद्योगिकी व इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण पहले के प्रयासों की तुलना में इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि इस दिशा में अल्पावधि से ले कर दीर्घावधि तक कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

- **सभी भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण:** इस दिशा में सर्वप्रथम सरकार को सभी भाषाओं, उनकी शब्दावली और व्याकरण के दस्तावेज़ीकरण से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए सरकार विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों की मदद ले सकती है।
  - मानदंडों को पूरा करने के आधार पर अनुसूचित भाषाओं या शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ाने से इसमें मदद मिल सकती है।
- **शिक्षा प्रणाली में मौजूद अक्षमताओं को दूर करना:** क्षेत्रीय भाषाओं में हो रही गिरावट को रोकने के लिए, शिक्षा प्रणाली की अक्षमताओं को दूर किया जाना चाहिए:

- शैक्षणिक संसाधनों की कमी को समाप्त करने के लिए शिक्षा हेतु **बजटीय आवंटन को बढ़ाया** जा सकता है।
- शिक्षण में सुधार के लिए **शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और शिक्षित स्थानीय युवाओं को संलग्न** किया जा सकता है।
- स्कूल और उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाकर **त्रि-भाषा सूत्र के बारे में राज्यों की आशंकाओं को दूर** किया जा सकता है।

- **क्षेत्रीय भाषाओं का विकासः** गिरावट या स्थिरता को दूर करने के लिए भाषाओं के सतत विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अतः इसके लिए निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जा सकती हैः
  - स्थानीय कंटेंट के विकास पर बल दिया जा सकता है अर्थात् ऐसी भाषाओं में समाचार-पत्र, किताबें या फिल्में बनाई जा सकती हैं।
  - कक्षाओं में और साइबर स्पेस पर स्थानीय कंटेंट उपलब्धता को बढ़ाकर **स्थानीय कंटेंट को पहचान** दिलाई जा सकती है।
    - यह आर्थिक गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक असमानताओं को कम करने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों की रुचि को भी बढ़ाएगा।
- **भाषाई अधिकारों के बारे में जागरूक करनाः** राज्य (सरकार) का उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए, भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

बहुभाषावाद हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाता है और हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। यह एकजुटता या एक होने की भावना को उत्पन्न करके हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एकजुटता की भावना **अनूठी और विशिष्ट होने** के बावजूद सबको एक साथ जोड़े रखने में मदद करती है अर्थात् **विविधता में एकता को बनाए रखने पर बल** देती है।

टॉपिक - एक नज़र में

संवैधानिक लोकाचार III : विविधता में एकता- बहुभाषावाद

सदियों के **भाषाई अभिसरण** के कारण **बहुभाषावाद** भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

संविधान सभा ने **भारत की विविधता में एकता के संरक्षण** में बहुभाषावाद की भूमिका को विशेष महत्त्व प्रदान किया था। ऐसे प्रयासों ने ही **बहुभाषावाद** को भारत के संवैधानिक लोकाचार के अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल होने में मदद की है।

भारतीय बहुभाषावादः विशेषताएं/ उद्देश्य

- भारत की **कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।** केवल राजभाषा है। **भारत के बहुलवाद को संरक्षित करने** के लिए **राज्य विधान-मंडलों को** अपनी राजभाषा के चयन हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- **भाषाई अल्पसंख्यक** वर्गों को अपनी पसंद के **शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार** प्रदान किया गया है।
- भाषाओं के संरक्षण के लिए मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा हेतु **विशिष्ट निर्देश** जारी किए गए हैं।
- **भारत की भाषा संबंधी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा** को संरक्षित करने के लिए **भाषाई अल्पसंख्यकों को भाषा के संरक्षण का अधिकार प्रदान** किया गया है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- संविधान की **आठवीं अनुसूची** के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
- बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **त्रिभाषा सूत्र को लागू** किया गया है।
- **शास्त्रीय भाषाओं** के संरक्षण और विकास के प्रावधानों के साथ उन्हें **मान्यता प्रदान** की गई है।
- **भारतीय भाषाओं** में कंटेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए **मिशन मोड प्रयास (भाषिणी)** शुरू किए गए हैं।
- आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई लाभों के लिए **क्षेत्रीय भाषाओं आदि को बढ़ावा देने** हेतु अन्य संस्थानों द्वारा भी प्रयास किए गए हैं।

बहुभाषावाद के समक्ष चुनौतियां

- भाषाई समझ के कम होने के साथ बढ़ता **एकभाषी परिवेश।**
- सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए **मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी।**
- **भाषा के विकास में गतिहीनता और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण** की समस्या।
- कुछ राज्यों में **बहुभाषी नीतियों के प्रति आशंका।**
- सीमित डिजिटल उपस्थिति के साथ वैश्वीकरण का **नकारात्मक प्रभाव।**
- भाषाओं को अस्वीकार करने की दर के कारण **सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हुई है और सामाजिक-सामंजस्य में कमी** आई है।

आगे की राह

- राज्य की **सभी भाषाओं का दस्तावेजीकरण।**
- **शिक्षा प्रणाली की अक्षमताओं** को दूर करने के लिए वित्त-पोषण में वृद्धि और श्रम बल विकास के साथ **त्रि-भाषा फार्मूले** पर राज्यों की आशंकाओं को दूर करना।
- **मौजूदा भाषाई असमानताओं को दूर** करने का प्रयास करना।
- क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए **क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की उपलब्धता और ऐसे कंटेंट की मान्यता पर ध्यान केंद्रित करना।**
- राज्य को उत्तरदायी बनाने के लिए भाषाई अधिकारों के प्रति **जागरूकता पैदा करना।**